



मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : 3407/2025/तेरह/04
प्रति,

23 APR 2025
भोपाल, दिनांक

आयोग सचिव,
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग,
मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट,
भोपाल।

विषय:—म.प्र. विद्युत नियामक आयोग भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपने बावत्।

:-

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 03 जनवरी 2025 को पूर्ण होने तथा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत आयोग के कार्यों के सुचारु रूप से संपादन के लिये अध्यक्ष पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 92 की उपधारा (2) एवं म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 11 की उपधारा (4) में निहित प्रावधानों के अनुरूप, निर्देशानुसार, आयोग के वरिष्ठ सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से अध्यक्ष पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया जावे।

(यथा अनुमोदित)

V.K. Law
(व्ही.के. गौड़)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग